प्रशिक्षण दर्पण

त्रैमासिक पत्रिका

क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान, मध्य रेल, भुसावल 425203

अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता आय.एस.ओ. 9001.2008 प्रमाणित प्रथम क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान

फोन : 02582 - 222678 / 224600 फैक्स - 02582 - 222678

रेलवे - 54900 / 54918 / 54920 ई-मेल - zrtibsl@gmail.com

वेबसाईट - रेलनेट - http:\\10.154.26.100\ इंटरनेट - www.zrtibsl.com

वर्ष -षष्ठम अंक तेईसवां जनवरी से मार्च 2012

मुख्य संपादक की कलम से

संस्थान की त्रैमासिक पत्रिका प्रशिक्षण दर्पण के तेइसवें अंक का संपादकीय लिखते हुए मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है यह पत्रिका पाठकों के लिए निरंतर उपयोगी साबित हो रही है। विभागीय पाठ्य सामग्री के साथ साथ सामान्य विषयों पर पाठ्य सामग्री का संकलन इस पत्रिका की विशेषता है। पत्रिका के संपादक मंडल को मैं बधाई देता हूं एवं पत्रिका को बेहतर बनाने हेतु प्रबुद्ध पाठकों के सुझाव आमंत्रित करता हूं।

शुभकामनाओं सहित ।

एल.एम. सैयद
प्राचार्य

प्राईवेट फ्रेट टर्मिनल (पी.एफ.टी.)

ब्रजेश कुमार (याता. प्रशिक्षक)

1. प्राईवेट फ्रेट टर्मिनल द्वारा गुड्स केपिसिटी बढ़ाने के प्रयास किये जा रहे हैं।
2. पी एफ टी थ्रू टर्मिनल मेनेजमेंट कम्पनी द्वारा बनया जाएगा।
3. आवेदन टर्मिनल मेनेजमेंट कम्पनी करेगी।
4. इसके लिए एक स्क्रीनिंग कमेटी बनायी जाएगी जिसमें CCM (FM), CPDE, CPTM एवं FA&CAO रहेंगे।
5. आवेदन मिलने के 100 दिन में प्रस्ताव पास किया जाएगा।
6. आवेदन की फीस 1 करोड़ रूपये होगी।
7. जमानत राशि भी 1 करोड़ रूपये होगी।
8. यदि आवेदन अस्वीकार किया जाता है तो रजिस्ट्रेशन फीस 99 प्रतशित वापस की जाएगी।
9. पीएफटी बनाने वाली कम्पनी कम्पनी एक्ट 1956 के तहत् रजिस्टर्ड होनी चाहिए।
10. कम्पनी का टर्नओवर प्रतिवर्ष 20 करोड़ का होना चाहिए।
11. एग्रीमेंट 20 वर्ष का किया जाएगा टर्नओवर अच्छा होने पर 10 वर्ष तक एग्रीमेंट बढ़ाया जा सकता है।
12. यह योजना सिंगल विंडो स्कीम के तहत शुरू की गई है जिससे हमारा फ्रेट मार्केट बढ़ेगा तथा रेलवे की आमदनी भी बढ़ेगी।

स्पेशल फ्रेट ट्रेन ऑपरेटर (SFTO)

1. इसका उद्देश्य नान कन्वेंशनल ट्राफीक को हाई कैपेसिटी डिब्बों (HCW) तथा स्पेशल पर्पज डिब्बों (SPW) में बढ़ावा देना है।
2. इस स्कीम के तहत अच्छी डिजाइन के डिब्बों का प्रयोग किया जाएगा।
3. SFTO वह व्यक्ति होगा जो रेक प्राप्त करने में पैसा लगाएगा और उसके अपने रेक में माल का लदान किया जाएगा।
4. आवेदन कर्ता भारतीय कंपनी एक्ट 1956 के तहत रजिस्टर्ड कंपनी होना चाहिए।
5. कंपनी का न्यूनतम टर्नओवर 75 करोड़ होना चाहिए।
6. SFTO को निम्नानुसार रजिस्ट्रेशन फीस जमा करनी होगी– कैटेगरी I- 15 करोड़, कैटेगरीII – 20 करोड़, कैटेगरीIII – 20 करोड़, कैटेगरीIV-- 5 करोड़
7. RDSO द्वारा SFTO वैगनों का निरीक्षण किया जाएगा।
8. SFTO द्वारा ई पेमेंट पद्धति को बढ़ावा दिया जाएगा।
9. SFTO अपना रेक दूसरे SFTO को बेच सकता है।
10. सभी एग्रीमेंट के लिए रेलवे बोर्ड स्तर पर ED (FM), तथा क्षेत्रीय स्तर पर CFTM नोडल अधिकारी होंगे।

* * * * *

उपग्रह प्रक्षेपण एवं सूचना प्रौद्योगिकी

संजय कुमार झा (याता.प्रशिक्षक)

आवश्यकता आविष्कार की जननी है। आवश्यकताएं महसूस होती गई और आविष्कार भी होते गए। आज का वर्तमान युग सूचना प्रौद्योगिकी का युग है। सूचना प्रौद्योगिकी ने जीवन शैली की प्रत्येक गतिविधियों को इस प्रकार प्रभावित किया है कि इसके कुछ समय के व्यवधान से हम अपने आपको असहाय सा महसूस करने लगते हैं। चाहे अपने घर का DTH युक्त टेलीविजन हो या अपने साथ 24 घंटे साथ रहने वाला छोटा सा मोबाईल, इंटरनेट लगा कम्प्यूटर हो या रोड़ के किसी किनारे लगा हुआ ATM, निश्चितरूप से ये सारी चीजें हमारी जीवन शैली को काफी प्रभावित कर रही है। ये सारी सुविधाएं जहाँ एक तरफ घंटों का काम सैकंडों में कर देती हैं वहीं दूसरी तरफ विश्वसनीयताके साथ साथ उत्तम प्रबंधन एवं तात्कालिक आवश्यकता की तरफ अपना ध्यान भी आकृष्ट करती है।

चाहे मौसम के बदलने की पूर्व जानकारी हो या समुद्र में उठने वाले तुफान, भू गर्भ में छुपा हुआ खनिज हो या आपदा प्रबंधन की विभिन्न आवश्यकताएं, सारी चीजों का पूर्वाभास हो जाताहै और समय रहते ही हम इन चीजों से निपटने के लिए एवं समयानुकूल योजना बनाने के लिए सक्षम हो जाते हैं। संरक्षा सुदृढ़ करने के लिए टक्कर रोधी उपकरण (एंटी कोलीजन डीवाईस) हो या धुँध एवं कोहरे के समय सिगनलों की स्थिति एवं संकेत को बताने वाला फॉग सेफ डीवाईस। मालगाड़ी / सवारी गाड़ी संचालन के लिए FOIS / ICMS का सॉफ्टवेयर हो या कंट्रोल ऑफिस में प्रयुक्त किया जाने वाला COA (कंट्रोल ऑफीस एप्लीकेशन)। ये सारी चीजें कहीं न कहीं हमें आधुनिकता के नए नए आयामों को अपनी जीवन शैली के साथ अभिन्न रखते हुए बेहतर भविष्य एवं कार्य प्रणाली की तरफ इशारा कर रही है। लेकिन ये सारी चीजें कैसे कार्य कर रही हैं ?

जी हाँ इसका उत्तर है "सूचना प्रौद्योगिकी"। इस सूचना प्रौद्योगिकी को हम तक पहुंचाने में सबसे अहम योगदान, मानव निर्मित बहुउद्देशीय कृत्रिम उपग्रह का जिसे हम आवश्यकतानुसार समय समय पर स्थापित करते आए हैं। आइये इन्हीं

प्रशिक्षण दर्पण

मानव निर्मित कृत्रिम उपग्रह एवं इसे स्थापित करने की पद्धति के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करें।

कृत्रिम उपग्रह मानव निर्मित होते हैं जिसे किसी खास उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बनाया जाता है, ऐसे कृत्रिम उपग्रह को यदि पृथ्वी तल से 100 कि.मी. आकाश में भेज कर यदि उसे 8 कि.मी.प्रति सेकण्ड का क्षैतिज वेग दे दिया जाए तो यह पृथ्वी के चारों ओर एक एक निश्चित कक्षा में परिभ्रमण करने लगता है जिसका परिभ्रमण काल 84 मिनट का होता है। सामान्यत: उपग्रह दो प्रकार के होते हैं–

1. कक्षीय उपग्रह
2. भू– स्थिर उपग्रह

कक्षीय उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करते हैं जबकि भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी के किसी स्थान के सापेक्ष रहते हैं जिसकी कक्षा पृथ्वी के विषुवतिय तल में होती है। पृथ्वी के चारों ओर ऐसे उपग्रह का परिभ्रमण काल पृथ्वी के अपने अक्ष के परित: घुर्णण काल के बराबर अर्थात् 24 घंटे होता है जिससे हम उपग्रह द्वारा संचारित सारी सेवाओं को 24 घंटे प्राप्त कर सकते है। ऐसे उपग्रहों को पृथ्वी तल से करीब 36000 कि.मी. की ऊँचाई पर स्थापित करना पड़ता है और ऐसी कक्षाओंको हम Geo– Stationary या Geo – Synchronous orbit के नाम से जानते हैं।

पृथ्वी तल से करीब 36000 कि.मी. की ऊँचाई पर स्थापित करने के लिए जिस विशेष प्रकार के प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्रायोजनिक पद्धति कहते हैं। भारत ने इस प्रकार क्रायोजनिक ईंजन का प्रयोग करते हुए अपना उपग्रह स्थापित कर दिया है तथा अंतरिक्ष कार्यक्रम में अपनी श्रेष्ठता स्थापित करते हुए अमेरीका, रूस, चीन, जापान एवं यूरोपिय अंतरीक्ष एजेंसी जैसे देशों में शामिल हो गया तथा अंतरिक्ष कार्यक्रम के विकास में छठा देश बन गया है।

* * * * * *

मोबाईल फोन पर टिकट का आरक्षण

निलेश राऊत (वरि. वाणिजय प्रशिक्षक)

इंटरनेट सुविधा वाले मोबाईल फोन धारक अपने टिकट मोबाईल पर आरक्षित कर सकते हैं। यह सेवा भारतीय रेल के वेबपोर्टल www.indianrailways.gov.in पर उपलब्ध है। यात्री को टिकट बुकिंग का आवेदन रेल पोर्टल से डाउनलोड करना होगा। केवल व्यक्तिगत ID पर यात्री मोबाईल टिकट बुक कर सकते हैं। एजेंट अपने ID पर टिकट बुक नहीं कर सकते। टिकट आरक्षित करने का समय 00.30 से 23.30 तक है। एक ID पर प्रतिमाह अधिकतम 8 टिकट आरक्षित कर सकते हैं।

बुकिंग तथा किराया भुगतान के बाद मोबाईल आरक्षण संदेश (Mobile Reservation Massage) जारी होगा। निम्न श्रेणी में आरक्षण के लिए 5 रूपये प्रति टिकट तथा उच्च श्रेणी में आरक्षण के लिए 10 रूपये प्रति टिकट सेवा प्रभार लिया जाएगा।

सामान्य, तत्काल, महिला तथा वरिष्ठ नागरिक कोटे के लिए मोबाईल टिकट जारी होंगे अन्य कोई रियायती टिकट जारी नहीं होगा। यात्रा के दौरान यात्री को मोबाईल आरक्षण संदेश के साथ फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। मोबाईल पर संदेश नहीं होने पर 50 रूपये दंड के रूप में देकर यात्रा कर सकते हैं। टिकट जाँच कर्मचारी द्वारा अतिरिक्त किराया रसीद जारी की जाएगी। टिकट का रद्दीकरण केवल ऑन लाईन ही होगा।

* * * * * *

संस्थापन प्रश्न मंच - दिनांक 12.01.2012 को सभी के लिए उपयोगी संस्थापन जैसे विषय पर प्रश्न मंच का आयोजन काफी लाभप्रद रहा। श्रीसूर्य कुमार (प्रवर लिपिक) श्रीमती शामपति परदेशी (मु.संस्थापन प्रशिक्षक) ने प्रश्नों को संकलित किया। श्री विजय मोरे (वरि.याता.प्रशिक्षक) ने हिन्दी पावरपाईंट के माध्यम से प्रश्नों को संजोया व प्रस्तुत किया। श्री संयज कुमार राय, श्री सुनील अंबाडे, श्री एस के माली, श्री गोरे, श्री लीलाधर सिंह, श्री ए. जी. गाडगील श्री अतुल दांडवेकर ने कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना बहुमूल्य योगदान दिया।

रेल सेवक अनुशासन एवं अपील नियम 1968 के विभिन्न भाग तथा नियम 1 से 31 तक एक दृष्टि में ...-- सूर्यकुमार (प्रवर लिपिक)

भाग	विवरण	नियम संख्या
I	सामान्य	नियम संख्या 1– संक्षिप्त नाम और प्रारंभ नि.सं. 2– परिभाषाएं, नि.सं. 3 – विस्तार क्षेत्र
II	निलंबन	नि.सं. 4– रेल सेवक को निलंबनाधीन रखने के लिए सक्षम प्राधिकारी, नि.सं. 5– निलंबन नि.सं.6– शास्तियाँ– छोटी शास्तियाँ / बड़ी शास्तियाँ
III	दंड एवं अनुशासनिक प्राधिकारी	नि.सं.7 -- अनुशासनिक प्राधिकारी नि.सं.8 कार्यवाही प्रारंभ करने के लिए प्राधिकारी
IV	शास्ति अधिरोपित करने के लिए प्रक्रिया	नि.सं.9– बड़ी शास्तियां अधिरोपित करने के लिए प्रक्रिया नि.सं.10– जाँच रिपोर्ट पर कार्यवाही नि.सं.11- छोटी शास्ति अधिरोपित करने के लिए प्रक्रिया नि.सं.12– आदेशों की संसूचना नि.सं.13– सामूहिक जाँच प्रक्रिया नि.सं. 14– कतिपय मामलों में विशेष प्रक्रिया नि.सं.15– राज्य सरकारों आदि को सेवार्थ उधार दिए गए रेल कर्मचारी के बारे में उपबंध नि.सं. 16– केंद्र या राज्य सरकारों आदि से सेवार्थ उधार लिए गए अधिकारियों कर्मचारियोंके बारे में उपबंध
V	अपील	नि.सं.17– आदेश जिनके खिलाफ अपील नहीं हो सकती। नि.सं.18– वे आदेश जिनके खिलाफ अपील हो सकती है। नि.सं.19– अपील प्राधिकारी नि.सं.20– अपील के लिए समय सीमा नि.सं.21– अपील का प्रारूप, विषय वस्तु और प्रस्तुतीकरण नि.सं.22– अपील पर विचार नि.सं.23– अपीलीय आदेश का लागू किया जाना नि.सं.24– अराजपत्रित कर्मचारी वर्ग के लिए विशेष उपबंध
VI	पुनरीक्षण	नि.सं.25– पुनरीक्षण (रिवीजन) नि.सं.25 (क) पुनर्विलोकन (रिव्यू)
VII	विविध	नि.सं. 26– आदेशो, नोटिसों आदि की तामील नि.सं. 27– समय की परिसीमा शिथिल करने व विलंब को माफ करने की शास्ति नि.सं. 28 – संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श की पूति कर्मचारी को प्रदान करना। नि.सं. 29– निरसन और व्यावृत्ति (रिपील्स एवं संविम्स) नि.सं. 30– शंकाओं का समाधान नि.सं. 31 – राष्ट्रपति को याचिकाएं प्रस्तुत करने का अधिकारी
VIII	अनुसूचियाँ	-

* * * *

बैंक एक्सटेंशन काउंटर– निरंतर सुधार की कड़ी में हाल ही में संस्थान में एक्सिस बैंक का एक्सटेंशन काउंटर खोला गया है। जहाँ प्रशिक्षार्थी मैस मेनेजमेंट कमिटी के भोजन शुल्क, इंस्टिट्यूट के शुल्क इत्यादि जमा कर सकते हैं। इस एक्सटेंशन काउंटर की समय कार्यावधि 12.30 बजे से 14.30 बजे तक है। इसी कड़ी में संस्थान परिसर में बैंक के ए.टी.एम. काउंटर खोलने के प्रयास भी जारी हैं।

प्रशिक्षण दर्पण

आओ सुरक्षित रेल चलाऐं

एम. के गोयल (सहा. परि. प्रबंधक)

आओ सुरक्षित रेल चलाऐं, संरक्षा की आदत अपनाऐं
सर्दी गर्मी हो या बरसात, चाहे दिन हो या अंधेरी रात
अपना हम कर्तव्य निभाऐं, आओ सुरक्षित रेल चलाऐं।
G&SR हमारी गीता, संरक्षा सर्कुलर सबक जो बीता,
नियम कायदे नस नस में बसाऐं, आओ सुरक्षित रेल चलाऐं।
देरी का दे सकते हैं कारण, दुर्घटना का नहीं जवाब,
शॉर्ट कट के चक्कर में पड़कर, सुरक्षित संचालन में ना बाधा पैंहुचाऐं,
आओ सुरक्षित रेल चलाऐं।
संरक्षा सुरक्षा है लक्ष्य, समयपालन को भी ना करना ध्वस्त,
रेलों की गति के संग संग अपनी भी एक गति बनाऐं,
आओ सुरक्षित रेल चलाऐं।
है विशाल बेहद तंत्र इसका, सारा देश ऋणी है इसका,
संरक्षा का थाम के दामन सतर्कता को मान के पावन,
समयपालन को अपनाऐं, सुरक्षित सबको घर पैंहुचाऐं,
आओ सुरक्षित रेल चलाऐं, आओ सुरक्षित रेल चलाऐं।

* * * *

कार्यकाल के दौरान छुट्टी का नकदीकरण

श्रीमती शामपति परदेशी (मु.सं.प्रशिक्षक)

1. रेल कर्मचारी एक बार में अधिकतम 10 दिन का नकदीकरण न्यूनतम 1 दिन की ए.पी.एल. / सी. एल. अनिवार्यत: लेकर कर सकते हैं।
2. सामान्य अवकाश, प्रतिबंधित अवकाश, साप्ताहिक विश्राम छुट्टी की परिभाषा में नहीं आते।
3. अवकाश नकदीकरण हेतू पास या पी.टी.ओ. लेना अनिवार्य है।
4. इस प्रकार पूर्ण सेवाकाल में अधिकतम 60 दिन के अवकाश का नकदीकरण किया जा सकता है।
5. अवकाश नकदीकरण करने के बाद कर्मचारी के खाते में कम से कम 30 दिन ए.पी.एल. शेष रहना अनिवार्य है।
6. प्रथम ब्लॉक में नकदीकरण करने वाले कर्मचारी दूसरे ब्लाक में नकदीकरण हेतु आवेदन कर सकते हैं।
7. प्रथम ब्लॉक 1.9.2008 से 31. 8.2010 तथा दूसरा ब्लॉक 1.9.2010 से 31.8.2012 तक। इसी आधार पर अगले ब्लॉक की गणना की जा सकती है।
8. अवकाश नकदीकरण की गणना बेसिक+ ग्रेड पे+ डी. ए. / 30 X 10 दिन के अनुसार होगी।

* * * * *

हिन्दी कार्यशाला दिनांक 13.02.12 से 15.02.12 तक संस्थान में हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें प्रशिक्षक एवं कर्मचारियों को हिन्दी में अधिकाधिक कार्य करने के लिए प्रेरित किया। कार्यशाला में संस्थान के अधिकारियों ने भी भाग लिया एवं श्री राम प्रसाद शुक्ल (भुसावल मंडल राजभाषा अधिकारी) ने अपने प्रस्तुतिकरण सह व्याख्यान से हिंदी के प्रचार प्रसार का महत्व बताया।

* * * * *

रक्तदान दिनांक 10.02.12 एन.आर.एम.यु. द्वारा संस्थान में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्राचार्य एवं उप प्राचार्य महोदय ने रक्तदान महादान की भावना से उपस्थितों को अवगत कराया। शिविर में 155 प्रशिक्षार्थियों ने रक्तदान किया। सभी रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र सहित विशेष आकस्मिक अवकाश भी प्रदान किया गया।

* * * * *

उद्यान सौंदर्यीकरण– संस्थान प्रांगण के सभी उद्यानों की साफ सफाई, देख रेख एवं सौंदर्यीकरण हेतू प्राचार्य महोदय ने विभिन्न संकायों के बगीचों का निरीक्षण किया गया एवं अच्छे बगीचे के रूप हवलदार गार्डन एवं डीजल संकाय के गार्डन को पुरस्कार देकर सम्मानित किया।

गणतंत्र दिवस - 26 जनवरी 2012 को 63 वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में संस्थान प्रमुख प्राचार्य महोदय द्वारा ध्वजारोहण किया गया तथा महाप्रबंधक का संदेश पढ़ कर सुनाया। इस अवसर पर संस्थान के सभी अधिकारी, प्रशिक्षक, प्रशिक्षार्थी उपस्थित थे। प्रशिक्षार्थियों द्वारा परेड का प्रदर्शन भी किया गया तथा उन्हें प्राचार्य महोदय द्वारा पुरस्कृत किया गया।

* * * * *

अंतर विभागीय टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट 2012 – संस्थान में दिनांक 09.3.12 से 17.3.12 तक अंतर विभागीय क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इस टूर्नामेंट में भुसावल मंडल के विभिन्न विभागों की कुल 16 टीम ने भाग लिया। सभी मैच 12 ओवर के (नॉक आउट राउंड) खेले गए। टूर्नामेंट का अंतिम मुकाबला दिनांक 17.3.12 को मंडल के वाणिज्य विभाग की टीम व संस्थान की "ए" टीम के बीच खेला गया। कड़े मुकाबले में वाणिज्य विभाग की टीम विजयी रही। टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में संस्थान प्रमुख प्राचार्य महोदय सहित संस्थान के अधिकारीगण, प्रशिक्षक गण व बड़ी संख्या में प्रशिक्षार्थी उपस्थित थे। वाणिज्य विभाग के वरि.मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री बोरीकर व सहा. वाणिज्य प्रबंधक श्री विजय नायर तथा श्री शर्मा भी उपस्थित थे। टूर्नामेंट के सफल आयोजन में खेलकूद सचिव श्री विवेक कुमार, श्री एल.एन.निर्मलकर, श्री सुनील परदेशी, श्री विरेंद्र वडनेरे, श्री ए.जी.गाडगील, मोहम्मद इजहार, श्री पी.के.सिंह, श्री ए.के.श्रीवास्तव, श्री विजय दुबे, श्री ए.वी.राजगुरू, श्री अतुल दांडवेकर, श्री बी.टी.सरोदे ने अपना योगदान दिया। टूर्नामेंट के सफल आयोजन में श्री ए.एम.कुलकर्णी (खेल अधिकारी) का मार्गदर्शन लाभप्रद रहा।

* * * * *

बेडमिंटन सिंगल महिला एवं स्टॉफ बेडमिंटन एवं अंतर संकाय बेडमिंटन प्रतियोगिता जनवरी माह में आयोजित किया गया जिसमें कुल 16 खिलाड़ियों ने भाग लिया। विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार एवं ट्रॉफी प्रदान की गई।

* * * * *

सांस्कृतिक कार्यक्रम वाणिज्य संकाय द्वारा सौजन्यता पर आधारित "पश्चाताप" नामक नाटिका संस्थान के के.वी.पंडीत सभागृह में प्रस्तुत की। जिसमें वाणिज्य संकाय के सभी प्रशिक्षकों ने अपना रोल निभाया। नाटिक की स्क्रीप्ट श्री ए जी गाडगील ने लिखी। श्री एम.के.गोयल (सहा. परि. प्रबंधक) ने भी इस नाटिका में अपना योगदान दिया।

* * * * *

मधुर व्यवहार बापू सरोदे (याता.प्रशिक्षक)

"ऐसी वाणी बोलिये, मन का आपा खोय,
औरन को शीतल करे, आपहुँ शीतल होय।"

मीठी और हितभरी वाणी दूसरों को आनंद, शांति और प्रेम का पान करती है और स्वयं आनंद, शांति और प्रेम को खींच कर लाती है। हम जिनसे मिलते हैं वे राबोट

प्रशिक्षण दर्पण

नहीं है, मशीन नहीं है, मनुष्य है। उन्हें सहानुभूति, स्नेह और प्रेम की आवश्यकता है। मधुर व्यवहार के द्वारा उनकी वह आवश्यकता पूरी करके उन्हें तृप्त करें और अपने जीवन को भी सद्गुणों की दिव्य सुगंध से सुमधुर बनाकर सफलता और पूर्णता के पथ पर आगे बढ़ते जाओ।

* * * * *

अतिथियों का आगमन

श्री अविनाश गारेकर मु.संरक्षा अधिकारी एवं श्री जे.एस.गुप्ता मुख्य इंजीनीयर (योजना) मध्य रेल ने संस्थान में भेंट दी एवं प्रशिक्षार्थियों से सामूहिक रूप से संरक्षा विषय पर मुक्त संवाद किया। प्रशिक्षार्थियों के संरक्षा संबंधी प्रश्नों का निराकरण भी किया।

ऑस्ट्रेलिया की टीम

- रोटरी क्लब भुसावल के तत्वाधान में संस्थान में ऑस्ट्रेलिया के प्रतिनिधियों ने भेंट दी। उन्होंने विभिन्न क्रिया कलापों व अवसंरचना को देखा

* * * * *

सतर्कता सेमिनार - दिनांक 16.3.2012 को सतर्कता विषय पर सेमिनार आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में श्री प्रभात कुमार (उप मुख्य सतर्कता अधिकारी) ने पावरपाईंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से निविदा, स्टेशनों पर कांट्रेक्टर के कार्य, अनियमितताएं विषय पर संभावित भ्रष्टाचार को उजागर किया व सतर्कता के महत्व को समझाया। इस अवसर पर मुख्यालय के विजिलेंस इंस्पेक्टर सहित विभिन्न मंडलों से स्टेशन प्रबंधक, वाणिज्य निरीक्षक इत्यादि कुल 25 सुपरवाइजर उपस्थित थे।

* * * * *

स्वागत/ विदाई/ बधाई

- श्री संदीप कुमार (स.मं.वि.इंजी.) के संस्थान में आगमन पर स्वागत।
- श्री अरूण प्रताप श्रीराम, श्री जी. आर. शर्मा (स.मं.वि.इंजी.) श्री एम. डबल्यू. चौधरी (मु.या.प्र.) के संस्थान से स्थानांतरण पर विदाई।
- क्षेत्रीय स्तर की हिन्दी राजभाषा प्रतियोगिताओं में संस्थान के श्री ए.जी.गाडगील (मु.वाणिज्य प्रशिक्षक) श्री संजय कुमार रॉय (वरि.याता.प्रशिक्षक) ने वाक् प्रतियोगिता में क्रमशः प्रथम एवं द्वितीय तथा हिन्दी टिप्पण एवं आलेखन प्रतियोगिता में श्री पंकज कुमार सिंह (वरि.लोको प्रशिक्षक), श्री पी.बी.राव (मुख्य याता.प्रशिक्षक) श्री विजय काशीनाथ मोरे (वरि.याता.प्रशिक्षक) ने क्रमशः प्रथम, तृतीय एवं प्रोत्साहन स्थान तथा श्री सूर्यकुमार (प्रवर लिपिक) ने हिन्दी निबंध प्रतियोगिता में प्रोत्साहन स्थान प्राप्त कर संस्थान का नाम गौरवान्वित किया। सभी को बधाई।
- वर्ष 2010 11 के दौरान हिन्दी में अधिकाधिक कार्य करने हेतू श्री एस.टी.बाविस्कर (सहा.कार्मिक अधिकारी) एवं श्री अनिल शुक्ला (कार्या.अधिक्षक) को महाप्रबंधक के हस्ते पुरस्कृत होने पर बधाई।

DAR - Misconduct

Virendra S.Vadnere (Estab.Instructor)

The following acts on the part of employee have been held to be misconduct:-

Any act or conduct of workers:-

- Which prejudicial or likely to be prejudicial to the interest of the employer or to the reputation of the employer.
- Inconsistent or incompatible with the due or peaceful discharge of workman's duty to his employer.
- Which makes it unsafe for the employer to retain him in service.
- Which is so grossly immoral so as to take him untrustworthy in the eyes of reasonable men.
- Which makes it impossible for the employer to rely on his faithfulness.
- Which is such as to open before him temptations for not discharging his duties properly.
- Which disturb the peaceful functioning at the place of work.
- Use of filthy or abusing language against co-employees, officers or employer.
- Insulting behavior and in-subordination as to make it impossible to retain the relation of master and servant.
- Habitual neglect of duties for which a worker is paid.
- Neglect of employee, though isolated which causes or tends to cause serious and harmful.
- Consequences.
- Theft, fraud or dishonesty in connection with the employer's business.
- Illegal strike.
- Breach of duty, absence without leave, non performance of job-duties, disobedience of orders.
- Breach of discipline, disrespect to or assaulting superiors or subversion of discipline, disrupting relations with co-workers.
- Delinquencies like telling lies, committing theft, fraud, dishonesty, disloyalty and corruption, damage to property or goodwill.
- Disabling or disrespectful conduct, disreputable outside contact.

* * * * *

संपादक मंडल

संरक्षक	:	श्री. झेड.ए.सिद्दीकी (मुख्य परिचालन प्रबंधक)
मार्गदर्शन	:	श्री. प्रभात रंजन (मुख्य यातायात योजना प्रबंधक)
मुख्य संपादक	:	श्री. एल.एम.सैयद (प्राचार्य)
		श्री. के.के.वर्मा (उप प्राचार्य)
संपादक	:	श्री. एम.के.गोयल (सहा.परि.प्रबंधक)
संकलक	:	श्री. विजय काशीनाथ मोरे (वरि.यातायात प्रशिक्षक)
ग्राफिक्स/सज्जा	:	श्री. शशिकांत केशव माली (वरि.सिमुलेटर प्रशिक्षक)
छायांकन	:	श्री. अतुल एम. दांडवेकर (वरि.यातायात प्रशिक्षक)
सहयोग	:	श्री. ए.के.सिंह (वरि.यातायात प्रशिक्षक)